पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग,बिलासपुर (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक / 1678 /सूचना का अधि0/ऑनलाईन/2026 बिलासपुर,दिनांक 31/07/2026

प्रति,

श्री संजय कुमार पटेल,
पता– मकान नं.–31 वार्ड नं. 32 रिसदी कोसाबाड़ी कोरबा,
जिला –कोरबा (छ.ग.) पिनकोड–495683

विषय :– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदायकरने बाबत्।**

संदर्भ:– आपका *ऑनलाईन आवेदन* आई.डी.क्रमांक *220260727009680*
दिनांक 27.07.2026

––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत् आपके द्वारा वांछित जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्संबंध में प्रभारी अधिकारी विकास शाखा से प्राप्त पत्र क्रमांक 1669/विकास शाखा/2026 बिलासपुर, दिनांक 29.07.2026 में लेख किया गया है शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.04.2026 की प्रति संलग्न है के संबंध में जॉच कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त पत्र की सत्यापित प्रति 02 पृष्ठ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती स्मिता पाण्डेय)
जनसूचना अधिकारी एवं लेखाधिकारी
बिलासपुर संभाग बिलासपुर

टीपः– 1. लोक प्राधिकरण कार्यालय संभागायुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर के लोक प्राधिकारी द्वारा इस लोक प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी विरूद्ध प्रथम अपील के विचारण हेतु श्री हरिशंकर चौहान उपायुक्त (वि0) को प्राधिकृत किया गया है।
2. प्रथम अपील हेतु अधिनियम प्रावधान अनुसार एक माह की समय–सीमा निर्धारित है।

कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर छ0ग0

//ज्ञापन//

क्रमांक / 1669 / विकास शाखा / 2026, बिलासपुर, दिनांक 29 / 07 / 2026

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदाय करने बाबत्।
(आवेदक–श्री संजय पटेल, कोरबा)

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1665 / सूचना का अधि0 / ऑनलाईन / 2026, दिनांक 29 / 07 / 2026.

——00——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन हो।

आवेदक– श्री संजय कुमार पटेल, जिला–कोरबा (छ0ग0) का विषयांकित आवेदन पत्र संलग्न कर आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी समय–सीमा में उपलब्ध कराने का लेख आपने अपने पत्र में किया है।

आवेदक श्री संजय कुमार पटेल द्वारा वेदान्ता पावर लिमिटेड सिंघीतराई सक्ती से संबंधित जानकारी सत्यापित प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग की है।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक FILE No.:ESTB/11647/2026-GAD-6 दिनांक 17.04.2026 द्वारा आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को वेदांता पावर कं. लिमिटेड सिंघीतराई, तह0–डभरा, जिला–सक्ती (छ0ग0) में हुये हादसे की निम्न 03 बिन्दुओं पर जांच हेतु आदेशित किया गया:–

1. घटना कब और कैसे घटित हुई?
2. वे परिस्थितियां तथा कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई।
3. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में सुझाव।

उपरोक्त जांच की कार्यवाही अभी प्रगतिरत है। जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

संलग्नः–शासनादेश दिनांक 17.04.2026 की प्रति।

उपायुक्त (विकास)
बिलासपुर संभाग बिलासपुर

(श्रीमती स्मिता पाण्डेय)
जनसूचना अधिकारी/लेखाधिकारी
कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

सूचना के अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त
सत्यापित प्रतिलिपि

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर-492002

//आदेश//

नवा रायपुर, 17-04-2026

क्र.File No.:ESTB/11647/2026-GAD-6 :: वेदांता पावर लिमिटेड सिंघीतराई तहसील डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) में दिनांक 14.04.2026 को प्लांट की बॉयलर यूनिट-1 में बॉयलर के स्टीम पाईप के वाटर सप्लाई पाईप के ज्वांट में तकनीकी खराबी होने से दुर्घटना में 34 श्रमिक प्रभावित हुए, जिसमें से 12 श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में जांच हेतु आयुक्त, बिलासपुर संभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2/ जांच के बिंदु निम्निलिखित निर्धारित किये जाते है -

01. घटना कब और कैसे घटित हुई ?

02. वे परिस्थितियां तथा कारण जिसके फलस्वरूप घटना घटित हुई।

03. भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में सुझाव ।

जांच अधिकारी को यह आदेशित किया जाता है कि वे 30 दिन के भीतर जांच पूर्ण कर अपना जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को सौपेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Gore Lal Bhuarya
Date: 17-04-2026
19:01:32

(गोरे लाल भूआर्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना के अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदत्त
सत्यापित प्रतिलिपि

(श्रीमती स्मिता पाण्डेय)
जनसूचना अधिकारी/लेखाधिकारी
कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग
बिलासपुर (छ.ग.)